

फर्द अहकाम

पूरन सिंह बनाम रतुन्द्र सिंह
 उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

94/2024

यालय
या

प्रमाणित
काम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/03/25	<p>पत्रावली पैरा हुई वकुलाय व फझार अनुपस्थित प्रकरण में कोई समाप्ति तक बार-बार आवाज दिलवाई गई। कोई हाजिर अदालत नहीं आये है अतः पार्थक्य पत्र न. 2. (क) अधिनियम हाजरी व अधिनियम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के मुद्रा होकर दाखिल दफ्तर है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 बस्सी जिला-जयपुर